

स्वामी सहजानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर

दिनांक- 30-01-2025

सूचना

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति को लेकर समाज कल्याण विभाग से प्राप्त निम्नलिखित सूचना का संज्ञान सभी छात्र एवं छात्राए लेवे।

जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने जनपद के सभी छात्र/छात्राओ को सूचित किया है कि पूर्वदशम (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12 एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थान) छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में भी छात्रो द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया गया है, जो नियमानुसार नहीं है। ऐसे आवेदन पत्र जिनमे छात्रो ने अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया है, उन आवेदन पत्रों को निरस्त किया जायेगा। ऐसे छात्रो को समय-सारणी में छात्रो के स्तर से करेकशन कि अवधि में माता/पिता/अभिभावक अथवा पति (जैसा भी लागु हो) के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र के संशोधन का अवसर प्रदान किया जायगा (05 फ़रवरी से 10 फ़रवरी तक) ऐसे सभी छात्र/छात्राए अपने अभिभावक के नाम से आय प्रमाण पत्र संशोधन कि तिथि से पूर्व जरी करा ले, जिससे संशोधन कि अवधि में उनके द्वारा सही आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया जा सके।



प्राचार्य

प्रोफे. (डॉ. विजय कुमार राय)

प्राचार्य

स्वामी सहजानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय